



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/567

दिनांक: 01.10.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: 01 अक्टूबर, 2025 से भारत-ईएफटीए टीईपीए के तहत मूल अधिमान्य प्रमाण पत्र (सीओओ) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और जारी करने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 01 अक्टूबर, 2025 से, भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (भारत-ईएफटीए टीईपीए) के तहत आइसलैंड, लिक्टेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात के लिए अधिमान्य मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करना ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म (www.trade.gov.in) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुगम होगा।

मुख्य अंश:

- इसीओओ जारी करने के दो तरीके:
 1. स्व घोषणा
 2. अधिकृत एजेंसी के माध्यम से
- स्व-घोषणा आधारित इसीओओ के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) और स्कैन की गई स्याही से हस्ताक्षरित हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
- स्व-घोषित इसीओओ स्वतः स्वीकृत हो जाएगा तथा क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक प्रारूप में तैयार किया जा सकेगा।
- एजेंसी-आधारित सीओओ के लिए, निर्यातक अधिसूचित प्राधिकृत एजेंसियों की सूची में से चयन कर सकते हैं।

- लॉग इन करने के लिए अपने मौजूदा डीजीएफटी क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपके आईईसी और डीएससी विवरण अद्यतित हैं।
- ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर "प्रमाणपत्र सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक डीजीएफटी व्यापार नोटिस में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रियाओं से परिचित हो जाएं।

पूर्ण व्यापार सूचना https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251001052138.pdf पर देखें

सहायता के लिए निर्यातक सीओओ हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

दूरभाष: 011-23061495 / 011-23061499

ईमेल: coo-dgft@gov.in

या ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पर टिकट लॉग करें

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल